कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म0प्र0
सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक 603/284/आ.शि/अकाप्र/2011, भोपाल, दिनांक 20/7/2011

प्रति,

(1) कुल सचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्य प्रदेश

(2) अतिरिक्त संचालक, (समस्त)
क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा,
मध्य प्रदेश

(3) प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय,
मध्य प्रदेश

विषयः— स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश के लिए दिशा निर्देश बाबत ।

--0--

उपरोक्त विषयान्तर्गत स्नातक प्रथम से पंचम सेमेस्टर तक के अधार पर गुणानुक्रम निर्धारित कर स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश दें क्योंकि विद्यार्थियों को सेमेस्टर के प्रारंभ में अपने दायित्व पर प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है, जैसा स्नातक प्रथम सेमेस्टर में पूरक प्राप्त छात्रों के प्रवेश के लिए दिशा–निर्देश हैं (प्रवेश नियम 2011–12 पृष्ठ–4)। विद्यार्थी अपने दायित्व पर प्रवेश लेंगें तथा एक वचन–पत्र देंगें जिसमें यह उल्लेख होगा कि 'अगर छटवें सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम से गुणानुक्रम परिवर्तित होता है, तथा प्रावधिक प्रवेशित छात्र/छात्रा नियमित प्रवेश से वंचित रहता है तो यह उसकी जिम्मेदारी होगी ।'

(आयुक्त उच्च शिक्षा के निर्देशानुसार)

(डॉ0 के0एम0 जैन)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश